आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–52 / 2023

15.12.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री रतनलाल स्वांसी एवं रिझू महतो, पंचायत–गुडजोरा जिला–खूँटी, Video Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, खूँटी आयोग कार्यालय में अनुपस्थित।

इस वाद में रतनलाल स्वांसी एवं रिझू महतो, Video Conference के माध्यम से उपस्थित है। जबकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी का लिखित प्रतिवेदन आयोग के अभिलेख में मौजूद है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण उपस्थित होने में असमर्थता की जानकारी भेजी है। आयोग के आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन भी समर्पित किया है। जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष से शिकायतकर्त्ता सहमत नहीं है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रेषित की गई जाँच प्रतिवेदन की प्रति शिकायतकर्त्ता को WhatsApp के माध्यम से भेजने का निर्देश देता है। आयोग शिकायतकर्त्ता को निर्देश देता है कि वो जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रेषित की गई जाँच प्रतिवेदन के विरूद्ध आपना पक्ष अगली सुनवाई में रखें। इस वाद की कई सुनवाई हो, चुकि है। अतः आयोग इस वाद का जल्द निष्पादन चाहता है। अतः आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं शिकायतकर्त्ताओं को निर्देश देता है कि अगली सुनवाई में सभी उपस्थित होकर दोनो पक्ष आपनी बाते रखें ताकि आयोग समुचित निष्कर्ष पर पहुँच पाये। आदेश के प्रति सभी पक्षों को भेज दी जाय ।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है। दिनांक–11.01.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267